12.45 hrs.

STATEMENT *RE*: DELICENSING OF INDUSTRIES

**The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya):** Sir, I made a statement on . . . (*Interruptions.*)

**श्री हुकम चन्द कछवाय** (देवास) : मैं ने नोटिस दिया था कि

**अध्यक्ष महोदय** : आर्डर, आर्डर । इस तरह से मैं नहीं सुन सकता ।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : आखिर क्यों नहीं सुन सकते ?

**अध्यक्ष महोदय** : जानते है आप ।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : मैं ने एक इतने महत्वपूर्ण . .

**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य न उठें । श्री संजीवय्या ।

**Shri D. Sanjiviyya:**......

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर) : आखिर यह है क्या ? कुछ बताएं तो सही कि चल क्या रहा है ? इस तरीके से कार्यवाही चलाने से क्या फायदा ? विषय बतलाइये : क्या रख रहे हैं? हम लोगों को पूछने का हक है ।

**अध्यक्ष महोदय** : जो पढ़ा जा रहा है उसे तो आप सुनते नहीं हैं और इस तरह से दखल दिये जा रहे हैं ।

He will kindly read it very slowly and distinctly. . . (*Interruptions*). It may be laid on the Table of the House.

**Shri D. Sanjivayya:** I lay it on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-7299/66].

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur): I rise on a point of order. हम लोगों को यह नहीं मालूम कि हो क्या रहा है, इस के बारे में आर्डर पेपर में कुछ नहीं है । उस में तो श्री सुब्रह्मण्यम का नाम है कि वह इस बिल को पेश करेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कह दिया है कि वह इसे टेबल आफ दी हाउस पर रख दें और उन्होंने रख भी दिया है और मैम्बर साहब को उस के बारे में सब कुछ मालूम हो जायेगा ।

**श्री मधु लिमये** : क्या सदस्यों को यह जानने का हक भी नहीं है ? विषय बतलाने से क्यों इंकार कर रहे हैं ?

**श्री स० मो० बनर्जी** : आर्डर पेपर में क्यों नहीं आता है ?

---

12.46 hrs.

PRODUCE CESS (AMENDMENT) BILL*

**The Minister of Food and Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramaniam):** Sir, I move for leave to introduce a Bill to amend the Produce Cess Act, 1966.

**Mr. Speaker:** The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Produce Cess Act, 1966."

*The motion was adopted.*

**Shri C. Subramaniam:** Sir, I introduce† the Bill.

---

*Published in Gazette of India Extrordinary, Part II, section 2, dated 14th November, 1966.

†Introduced with the recommendation of the President.